e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
स0सं0:– 17– तक0को0–312/2018...........2984

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/
किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णियाँ/सीतामढ़ी/
सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प0 चम्पारण/जमुई/
मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा।

पटना, दिनांक :– 07-10-2021

विषय :– विभिन्न जिलों के भ्रमण के क्रम में की गई समीक्षा एवं MIS प्रतिवेदन के अनुसार कार्य प्रगति के आलोक में विशेष सर्वेक्षण कार्य में सुधार लाए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में स्पष्ट करना है कि किशनगंज, अररिया, शेखपुरा, जमुई एवं मुंगेर में अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गई समीक्षा एवं जिलों से प्राप्त MIS प्रतिवेदन के विश्लेषण उपरांत विभिन्न जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निम्नाकिंत निदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए:–

I. प्रथम चरण अंतर्गत 207 शिविरों के संबंध में:–

1. कार्यरत सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों विशेषतः विशेष सर्वेक्षण अमीन के क्षेत्र एवं शिविर में प्रतिदिन उपस्थिति सुनिश्चित करना। यदि कोई कर्मी लगातार एक सप्ताह तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो शिविर के कर्मियों के संबंध में शिविर प्रभारी द्वारा एवं शिविर प्रभारी के संबंध में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई हेतु बन्दोबस्त पदाधिकारी के समक्ष कार्रवाई की अनुशंसा निश्चित रूप से उपस्थापित की जाय।
2. सभी अमीनों द्वारा प्रतिदिन के कार्यों को अमीन डायरी में प्रविष्टि कर भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में संधारित करना सुनिश्चित किया जाय।
3. सुनवाई प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् याद्दाश्त पंजी को स्कैन कर यथाशीघ्र भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में संधारित कर दिया जाय। साथ ही शिविर कार्यालय को समर्पित कर दिया जाए। याद्दाश्त पंजी में की गई प्रविष्टि में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी एवं रैयत से प्राप्त संबंधित खेसरे के रकबा को संधारित किया जाए एवं तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने के बाद उचित रकबा का यथोचित आदेश पारित किया जाए।
4. प्रपत्र–8 में रैयतों से प्राप्त दावा/आपत्ति को प्रतिदिन भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में संधारित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए एवं प्रपत्र–10 में सुनवाई की प्रथम तिथि निर्धारित कर प्रतिदिन कम–से–कम 25 वादों की सुनवाई करना सुनिश्चित किया जाए।
5. प्रत्येक सुनवाई पश्चात् पारित आदेशों को पारित तिथि के अगले दिन तक भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाए।
6. प्राप्त दावा/आपत्ति की प्रकृति एवं उसके अनुरूप कार्रवाई में लगने वाले समय को देखते हुए सुनवाई की अगली तिथि का निर्धारण एवं यथाशीघ्र वादों का निष्पादन किया जाए।

7. सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् विश्रांति हेतु आलेख एवं रकबा शाखा को अभिलेखों को हस्तगत करने से पूर्व सुधार हेतु पारित आदेश के अनुरूप प्रपत्र–6 एवं मानचित्र में किए गए सुधारों का मिलान अर्थात् आदेश के अनुरूप सुधार कर लिया गया है या नहीं इसे सुनिश्चित कर लिया जाय।
8. ग्राम अभिलेखों में उद्घोषणा से प्रारूप प्रकाशन तक की गई सभी कार्रवाईयों को संधारित होना चाहिए ताकि प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् होने वाली कार्रवाईयों के संधारण में कठिनाई नहीं हो। उल्लेखनीय है कि विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के प्रकाशन के लिए ग्राम अभिलेख एक महत्त्वपूर्ण सहयोगी दस्तावेज (Supporting Document) होता है।

II. द्वितीय चरण में लिए गए शेष सभी अंचलों के संबंध में:–

1. द्वितीय चरण में जिले के बचे हुए सभी अंचलों/ग्रामों के लिए शिविर का गठन एवं विशेष सर्वेक्षण अमीनों की टैगिंग सुनिश्चित की जाए।
2. जिले के बचे हुए सभी अंचलों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के लिए जिलास्तरीय उद्घोषणा का प्रकाशन कर भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।
3. विशेष सर्वेक्षण अमीनों को खतियानी विवरणी (प्रपत्र–5) को संधारित एवं सॉफ्टवेयर में अपलोड करने के लिए प्रतिदिन खतियान के 40 पृष्ठों की प्रविष्टि का लक्ष्य निर्धारित की जाए तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत आनेवाली सभी ग्रामों के प्रपत्र–5 का संधारण 15 नवंबर, 2021 तक करना सुनिश्चित किया जाय।
4. रैयतों से ऑनलाईन स्वघोषणा एवं वंशावली प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में स्थानीय समाचार–पत्रों एवं अन्य माध्यमों में विज्ञापन का प्रकाशन किया जाए।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 17– तक0को0–312/2018.....2984.....　　पटना, दिनांक :07-10-2021

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मुख्यालय), बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णियाँ/सीतामढ़ी/सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प0चम्पारण/जमुई/मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0 को0–312/2018.....2984.....　　पटना, दिनांक :07-10-2021

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/निदेशालय स्तर के सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप